# प्रेस नोट 25.08.2020

**<u>टाप–10 तथा हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से दो अदद नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद–</u>**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान आज दिनांक 25.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा ढेकुलिय घाट पुल के पास से बेचू यादव पुत्र बालकिसुन यादव निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराधी पूर्व का टाप–10 अपराधी हर चुका जिसके विरूद्ध गैंगेस्टर सहित लगभग 10 गंम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 348/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा अब्बुपुर मोड़ के पास से टाप–10 अपराधी व हिस्ट्रीशीटर (62ए) राकेश राजभर पुत्र जगरनाथ राजभर निवासी कोड़रा थाना कोपागंज के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व व एक कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 449/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**60 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 04 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मिर्जाहादीपुरा चौक के पास से जमशेद अंसारी पुत्र मुस्लिम अंसारी निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला के कब्जे से 20 लीटर, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा पिनडोहरी के पास से अजीत कुमार पुत्र तिलकधारी निवासी रैनी थाना दक्षिणटोला के कब्जे से 10 लीटर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा संसाबाद चट्टी के पास से पिन्टू उर्फ पिप्पी पुत्र रामरतन पासी निवासी दतौली थाना रानीपुर के कब्जे से 20 लीटर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा सोनू पुत्र पन्नू निवासी बालनिकेतन तिराह थाना कोतवाली के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरादम कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा सहलाबाद मोड़ के पास से मु0अ0सं0 446/20 धारा 363,366,506 भादवि0 में वांदित अभियुक्त हैदर उर्फ सेरू निवासीगण क्यारीटोला थाना कोतवाली तथा मु0अ0सं0 321/20 धारा 149,420,467,468 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रामसूरत पाण्डेय पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय निवासी कपुरपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया ,थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान हनुमान नगर वार्डर के पास से मु0अ0सं0 681/20 धारा 323,504,506,304 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण शिवप्रसाद पुत्र सुबराती, अनूप पुत्र शिवप्रसाद निवासीगण कड़हनी थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.08.20 को नाली के विवाद को लेकर मारपीट में एक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियोग पंजीकृत था।

**शांति भंग की आशंका में 36 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **घोसी** पुलिस द्वारा डोली देवी, महेन्द्र, इन्द्रावती, देवेन्द्र निवासीगण कपरिया थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा अच्छेलाल निवासी अछार थाना सरायलखंसी, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा हरेन्द्र यादव, अजय यादव निवासी तालरतोय, सूरज निवासी इजराहियाबाद, कासिक निवासी मुस्तफाबाद, आकाश, महाराज, नकूल कुमार निवासीगण कंडडाशरीकपुर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा सरदार मौर्या निवासी मालों, शहाबुद्दीन, इन्तियाज निवासीगण कोइरियापार, लालचन्द्र, रवीन्द्र निवासीगण तितली बोझ थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मनोज, श्रवण कुमार निवासी बस्ती, वीरेन्द्र, रामसरिख, सुमित निवासीगण मण्डोसरा, कमलेश, विजय कुमार, राजकुमार निवासीगण खीरीया, कमलेश, विशाल, रामप्रवेश निवासीगण ताहिरपुर थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मुन्नालाल, योगेश, सोता, महिपाल निवासीगण रकौली, खडकबहादुर, हृदया नाथ, मनीष, वियज प्रताप निवासीगण भवनाथपुर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**मुख्तार अंसारी गिरोह के निकट सहयोगी अब तक 12 अपराधी जिला बदर किये गये है।**

**1** – अल्तमश सभासद पुत्र मुजफ्फर रहमान, साकिन अस्तुपुरा, थाना दक्षिणटोला,(दिनांक 10.08.2020)
2–अनीस पुत्र एकराम, साकिन मदनपुरा थाना दक्षिणटोला, मऊ (दिनांक 10.08.2020),
3 –मोहर सिंह पुत्र क्लीन सिंह, साकिन भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद (दिनांक 14.08.2020),
4 –जुल्फेकार कुरैशी पुत्र मो0 युसुफ, साकिन बड़ागांव थाना घोसी (दिनांक 18.08.2020)
5 –तारिक पुत्र फैजल साकिन डोमनपुरा चमनपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
6 –मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद अली सा0 डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
7 –आमिर हमजा पुत्र एकलाख अहमद साकिन डोमनपुर, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
8 –मोहम्मद तलहा पुत्र अताउर्रहमान साकिन डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
9 –जावेद आरजू पुत्र अनीस साकिन दमादनगर, डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
10 –मोहम्मद हाशिम पुत्र अरशद कमाल सा0 मिर्जाहादीपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ, (दिनांक 21.08.2020),
11 –राशिद पुत्र ओजैर साकिन मिर्जाहादीपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ (दिनांक 21.08.2020) व
12–अभियुक्त अनुज कनौजिया पुत्र हनुमान कनौजिया निवासी नवापुरा बहलोलपुर, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ (मुख्तार अंसारी गिरोह का शार्प शूटर) को दिनांक 24.08.2020 को जिलाधिकारी मऊ द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न थानों में गम्भीर धाराओं में 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

**मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी अपराधियों के अब तक 26 शस्त्र लाइसेंस निलम्बित**

दिनांक 24.08.2020 को शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 जनक सिंह, निवासी बकवल थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ के लाइसेंसी शस्त्र 01 अद्द पिस्टल व एक अद्द राइफल को जिलाधिकारी मऊ द्वारा निलम्बित किया गया है।

**मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी अपराधियों के अब तक 21 शस्त्र लाइसेंस निरस्त**

दिनांक 24.08.2020 को दीपक शुक्ला पुत्र माता प्रसाद शुक्ला, साकिन माता पोखरा, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के लाइसेंसी शस्त्र 01 अद्द पिस्टल व 01 अद्द राइफल को जिलाधिकारी मऊ द्वारा निरस्त किया गया है।

**कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–**

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 24.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 25.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 357 बैरियर प्वाइंट (302 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 49 व्यक्तियों के विरूद्ध 14 अभियोग पंजीकृत कर 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1668 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 62 वाहनों का चालान तथा 23 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

**साथ ही साथ** मास्क न लगाने पर किये गये 268 चालान व वसूले गये 20 हजार 800 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 103 चालान व वसूले गये 07 हजार 700 जुर्माना सहित कुल 52 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।